आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की
कार्रवाई के
में टिप्पणी
तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-01/2021

सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत

श्री विश्वनाथ चौधरी---विक्रेता

प्रति

श्री लालमुनी चौधरी---क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) श्री विश्वनाथ चौधरी, पिता-स्व० कवल चौधरी, ग्राम-ओखरगाड़ा, पोस्ट-ओखरगाड़ा, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री लालमुनी चौधरी, पिता-श्री विशुन चौधरी, ग्राम-औरईया, पोस्ट-अटौला, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, मेराल से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, मेराल के पत्रांक 140/दिनांक 11.03.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त हुआ विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि का विक्रेता के स्वयं के नाम से मांग पंजी II के पृष्ट सं०-183/II पर मांग चलता है। विक्रेता जाति के मल्लाह सुरहीया (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के मल्लाह सुरहीया (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात भूमिहीन नही होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक (विक्रेता) के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में है। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अंचल अधिकारी, मेराल के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक (विक्रेता) श्री विश्वनाथ चौधरी, पिता-स्व० कवल चौधरी, ग्राम-ओखरगाड़ा, पोस्ट-ओखरगाड़ा, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा ने क्रेता श्री लालमुनी चौधरी, पिता-श्री विशुन चौधरी, ग्राम-औरईया, पोस्ट-अटौला, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:-

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
औरईया	254	93	440	0.14¼	उ०-हाल क्रेता वो पोखनाथ चौधरी, द०-पोखनाथ चौधरी, पू०-नीज विक्रेता, प०-सोमारू चौधरी,
				$0.04\frac{1}{2}$	उ०-चैतु बिन्द, प्लॉट नं० 478, द०-नीज विक्रेता वो हाल क्रेता, पू०-नीज विक्रेता, प०-~~नीज विक्रेता~~ पोखनाथ चौधरी
			कुल रकबा:-	0.18[illegible]	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

ह०/-	ह०/-
अपर समाहर्त्ता	अपर समाहर्त्ता
गढ़वा	गढ़वा

289 26.3.22

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.05 16:10:39 +05:30
Location: 192.168.36.160

... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.3.2022

अपर समाहर्त्ता
गढ़वा

Scanned with CamScanner